03/04/2011 22:49 0612-2239760 FOOD SECRETERY, BIHAR PAGE 03

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक 5106/रा०कू०मुद्रण-03/10 2401 खाद्य, पटना/दिनांक - 4/4/2011

OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE, CHAPRA
-7 APR 2011
CONFIDENTIAL SECTION

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- राशन एवं किरासन कूपन वितरण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चिन्हित परिवारों को निर्धारित दर एवं मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन एवं किरासन कूपन योजना लागू है । विगत् वर्ष चिन्हित लाभूक परिवारों को इस हेतु जो बार कोडेड कूपन उपलब्ध कराया गया था, उसकी अवधि माह मई, 2011 में समाप्त हो रही है । विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी माह जून, 2011 से माह मई, 2012 तक के लिए लाभूक परिवारों को नया बार कोडेड कूपन उपलब्ध कराया जाना है, जिसके लिए कूपन का मुद्रण कराया जा रहा है तथा कुछ जिलों में प्रिंटर्स द्वारा मुद्रित कूपन भेजा भी गया है तथा माह अप्रैल, 11 के अन्त तक सभी जिलों को इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

विदित हो कि इस बार भी पंचायतवार ईकाई मानकर बार कोडेड कूपन का मुद्रण कराया जा रहा है ताकि इसकी नकल नहीं हो सके । कूपनों के बार कोडिंग में अन्य कोड के अलावे पंचायत, प्रखंड एवं जिला के लिए भी कोडिंग कराया जा रहा है ताकि किसी प्रखंड या पंचायत के लिए मुद्रित कूपन का दूसरे प्रखंड या पंचायत में उपयोग नहीं किया जा सके ।

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित परिवारों की संख्या के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से प्राप्त लाभूक परिवारों की संख्या के आधार पर कूपनों का मुद्रण कराया जा रहा है । मुद्रित कूपन जिलों को सीधे प्रिन्टर्स/प्रेस द्वारा प्राप्त कराया जाएगा तथा कूपन प्राप्ति के समय प्रिन्टर्स/प्रेस द्वारा मास्टर कोड भी उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि वितरण में सुविधा हो सके । कूपन प्राप्त करते समय वाँछित संख्या में पंचायतवार एवं प्रखंडवार मुद्रित कूपन का मिलान कर हीं कूपन प्राप्त किया जाए ।

उल्लेखनीय है कि माह मई, 2010 में लाभूक परिवारों को उपलब्ध कराये गये कूपनों की अवधि समाप्त हो रही है तथा जून,

2011 से नए कूपन के आधार पर ही खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जानी है । अतएव कूपन वितरण की प्रारंभिक तैयारी एवं कार्ययोजना तैयार कर ली जाए तथा माह मई, 2011 के अन्तिम सप्ताह तक पूर्ण रूप से कूपनों का वितरण सुनिश्चित किया जाए ।

विगत वर्षों में कूपन वितरण पदाधिकारी/कर्मी द्वारा स्थानीय मुखिया को वितरण हेतु कूपन सौंप देने की सूचनाएं प्राप्त होती रही है । जबकि विभागीय निदेश के अनुसार किसी भी स्थिति में मुखिया अथवा डीलर को वितरण हेतु कूपन नहीं देना है ।

कूपन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता की संभावनाओं को रोकने तथा इसमे पारदर्शिता लाने के लिए यह निदेश दिया जाता है कि :-

1. प्रत्येक प्रखंड में कूपन वितरण हेतु तिथि एवं स्थल सहित पंचायतवार रोस्टर तैयार कर लिया जाय तथा रोस्टर के अनुसार ही कूपन शिविर लगाकर वितरण किया जाय ।
2. रोस्टर के अनुसार निर्धारित तिथि को यदि कोई उपभोक्ता कूपन प्राप्त करने के लिए Turn up नहीं हो पाता है तो 15 दिनो के अन्दर दूसरी तिथि निर्धारित कर कूपन का वितरण कर लिया जाय ।
3. अंतिम रूप से कूपन वितरण के पश्चात जो भी कूपन अवितरित बच जाता है उसे अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाय ।
4. प्रत्येक प्रखंड के लिए तैयार किये गये पंचायतवार रोस्टर की प्रति स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करा दी जाय ताकि शिविर में वितरण के समय यदि चाहे तो वे स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो सके । प्रखंडवार पंचायतवार रोस्टर समेकित प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय । माननीय सांसद, स०वि०स०, को शिविर में उपस्थित रहने का आग्रह किया जाय जिसमें प्रखंडवार वितरित होने वाले वर्गवार कूपन की संख्या दी जाय ।
5. पंचायतवार रोस्टर वितरण की तिथि, समय एवं स्थल का स्थानीय लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि वितरण के समय लाभुक उपस्थित रहकर अपना कूपन प्राप्त कर सके ।
6. कूपन का वितरण पंचायत में अवस्थित किसी सरकारी भवन यथा पंचायत भवन/सरकारी विद्यालय इत्यादि स्थल पर ही शिविर लगाकर किया जाय ।
7. लाभुकों के बीच कूपन का वितरण स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की पहचान पर/राशन कार्ड में चिपकाये हुए फोटो से मिलान कर किया जाय ताकि वास्तविक लाभुक परिवारों को ही कूपन प्राप्त हो ।

8. कूपन वितरण के क्रम में वितरण पंजी संधारण के साथ ही निर्गत होने वाले कूपन की संख्या कूपनों की अवधि सहित लाभुक परिवार के राशन कार्ड के पिछले पन्नों में अंकित अभ्युक्ति स्तम्भ में निश्चित रूप से दर्ज किया जाय एवं वितरण करने वाले कर्मी/पदाधिकारी द्वारा लघु हस्ताक्षर भी किया जाय ।

9. कूपन वितरण कार्यक्रम का गहन पर्यवेक्षण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से किया जाय ताकि वास्तविक उपभोक्ताओं को कूपन मिल सके एवं निर्धारित अवधि में वितरण कार्यक्रम भी सम्पन्न हो सके ।

कूपन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने पाए इसके लिए कूपन योजना एवं कूपन वितरण हेतु समय-समय पर दिए गए अन्य निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए साथ ही कूपन वितरण पंजियों का पूर्ण रूप से संधारण किया जाए ।

यह भी अनुरोध है कि कूपन वितरण करने वाले पदाधिकारी/कर्मियों को विभागीय निदेशों से पूर्ण रूप से अवगत करा दिया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की गड़बडी पाए जाने पर दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह० 2/04/2011

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र06-रा0कू0मुद्रण-03/10 2501 खाद्य, पटना/दिनांक 5/4/2011

प्रतिलिपि - सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 2/04/2011

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र06-रा0कू0मुद्रण-03/10 2501 खाद्य, पटना/दिनांक 5/4/2011

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह० 2/04/2011

प्रधान सचिव ।